भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 696
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

एफपीओ सशक्तीकरण योजना

696. श्री मनीष जायसवाल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अतंर्गत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सशक्तीकरण योजना हेतु देश भर में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा झारखंड विशेषकर हजारीबाग और कोडरमा जिलों में कार्यरत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीतागार, और विपणन के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंर्तगत इन एफपीओ को मिनी एग्रो हब क रूप में विकसित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) मांग पर आधारित एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है और झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिलों सहित पूरे भारत से किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ) सहित सभी पात्र आवेदकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के ज़रिए आवेदन मंगाए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत निधि राज्य-वार आवंटित/मंज़ूर/जारी नहीं किए जाते हैं।
एफ़पीओ कैटेगरी के आवेदकों को दी जाने वाली वित्तीय मदद में खास फायदे नीचे दिए गए हैं:-

i. सामान्य क्षेत्रों/श्रेणियों में 35% की तुलना में पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से सब्सिडी के रूप में अनुदान सहायता और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम के मामले में सब्सिडी/अनुदान सहायता सामान्य क्षेत्रों/श्रेणियों के 50% की तुलना में 70% है;
ii. कम इक्विटी योगदान-अन्य के लिए 20% के मुकाबले 10% आवश्यक;
iii. कम न्यूनतम क्रेडिट/ऋण आवश्यकता – अन्य के लिए 20% के मुकाबले 10% आवश्यक;
iv. कम निवल-संपत्ति की ज़रूरत यानी मांगी गई अनुदान सहायताके बराबर, जबकि सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए यह 1.5 गुना है।

(घ) और (ङ): आज की तिथि तक ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****